रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1978/आषाढ 10, 1900
No. 324] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1978/ASADHA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 420(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जूट (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम जूट (अनुज्ञापन और नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1978 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. जूट (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 10 को उस खंड के उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपखण्ड (1) के अधीन कोई आदेश देते समय जूट आयुक्त निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(1) विभिन्न स्टाकिस्टों या विनिर्माताओं के कब्जे में के कच्चे जूट या जूट वस्त्रों की मात्रा;

(2) कच्चे जूट की दशा में ऐसे स्टाकों की मात्रा, दशा और श्रेणी रचना और जूट वस्त्रों की दशा में क्वालिटी और संरचना ;

(3) कच्चे जूट या जूट के वस्त्रों के सट्टेबाजों के लिए अपसंचय को हतोत्साहित करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति विशेष निर्देश से और उचित मूल्य पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए, वह अवधि और वह प्रयोजन जिसके लिए विभिन्न स्टाकिस्टों अथवा विनिर्माताओं द्वारा कच्चे जूट या जूटवस्त्र का ऐसा स्टाक रखा जा रहा है ;

(4) वास्तविक और निश्चित संविदात्मक विक्रय प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों;

(5) स्टाक को इस आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन जूट आयुक्त को घोषित किया गया है या नहीं और यदि जूट को इस प्रकार घोषित किया गया है तो वह सही घोषित किया गया है या नहीं;

(6) क्या स्टाकिस्ट वास्तविक स्वामी है या वह स्टाक को अन्य पक्षकारों के लिए या उन की ओर से धारण कर रहा है ;

(7) क्या स्टाक इस आदेश के अधीन जूट आयुक्त के किसी आदेश के उल्लंघन में धारण किया जा रहा है; और

(8) कोई अन्य बात, जो जूट आयुक्त की राय में, इस प्रयोजन के लिए सुसंगत हो ।"

[फा० सं० 7/1/78-जूट]

एस० एस० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 420(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, namely :—

1. (1) This Order may be called the Jute (Licensing and Control) Second Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. Clause 10 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, shall be re-numbered as Sub-clause (1) of that clause, and after sub-clause (1) as so re-numbered, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(2) In issuing an order sub-clause (1), the Jute Commissioner shall have regard to—

(i) the quantity of raw jute or jute textiles in the possession of various stockists or manufacturers ;

(ii) the quality, condition and grade composition of such stocks in case of raw jute and quality and construction in case of jute textiles ;

(iii) period and the purpose for which such stocks of raw jute or jute textiles are being held by various stockists or manufacturers with particular reference to the necessity of discouraging speculative hoarding in, and ensuring availability at fair prices of raw jute or jute textiles ;

(iv) genuine and firm contractual sale commitments, if any ;

(v) whether the stock has been declared to the Jute Commissioner or not under any provision of this Order and in case the stock has been so declared, whether it has been correctly declared or not;

(vi) whether the stockist is the real owner or he is holding the stock for and on behalf of third parties ;

(vii) whether the stock is being held in violation of any order of the Jute Commissioner under this Order; and

(viii) any other factor which, in the opinion of the Jute Commissioner, may be relevant for the purpose."

[F. No. 7/1/78-Jute]
N. S. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978